NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-02-2025

विषय सूची

भारत-यूरोपीय आयोग साझेदारी 1
समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु पहल प्रारंभ 5
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 8
राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 10
परमाणु हथियार: 'विनाश का एकतरफा रास्ता' 1

संक्षिप्त समाचार

नानाजी देशमुख 15
हेराथ महोत्सव 16
मूसलाधार बारिश 16
TB का पता लगाने में 'हीरोरैट्स' 17
उइगर 17
हेग सेवा सम्मेलन 18
विश्व को खादी पहनाओ अभियान 19
जैवविविधता रिसाव 20
प्राणि मित्र एवं जीव दया पुरस्कार 21
स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट 21

भारत-यूरोपीय आयोग साझेदारी

संदर्भ

- हाल ही में यूरोपीय आयोग (EC) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' की संभावनाओं पर विचार करने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर भारत आया है।

यूरोपीय कमीशन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इसकी उत्पत्ति रोम की संधि के बाद 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के गठन से मानी जाती है।
- मास्ट्रिच संधि (1993) और लिस्बन संधि (2009) ने इसकी शक्तियों को मजबूत किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह यूरोपीय संघ के शासन में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बना रहेगा।

संरचना और संयोजन

- यूरोपीय आयोग (EC) यूरोपीय संघ (EU) की कार्यकारी शाखा है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, और यह EU के सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- EC में 27 आयुक्त होते हैं, जिनमें से प्रत्येक EU सदस्य देश से एक होता है, तथा उन्हें पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

मुख्य घटक

- **आयोग का अध्यक्ष:** इसे यूरोपीय परिषद द्वारा नामित किया जाता है और यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
  - आयोग का समग्र राजनीतिक एजेंडा निर्धारित करता है।
  - उपाध्यक्षों की नियुक्ति करना तथा आयुक्तों को विभाग सौंपना।
- **आयुक्त (आयुक्तों का कॉलेज):**
  - प्रत्येक सदस्य राज्य एक आयुक्त को नामित करता है।
  - व्यापार, पर्यावरण और प्रतिस्पर्धा जैसे विभिन्न नीति क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार।
- **महानिदेशालय (DGs) और सेवाएँ:** ये विभाग मंत्रालयों की तरह कार्य करते हैं और नीतियों का मसौदा तैयार करने तथा कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- **विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए उच्च प्रतिनिधि:**
  - यूरोपीय संघ की कूटनीतिक और सुरक्षा नीतियों की देखरेख करता है।
  - आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

यूरोपीय आयोग के कार्य

- विधायी पहल;
- यूरोपीय संघ के कानूनों का प्रवर्तन;
- नीति कार्यान्वयन और बजट प्रबंधन;
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व;

भारत-यूरोपीय आयोग (EC) साझेदारी के बारे में

ऐतिहासिक संदर्भ:

- **1962:** भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC), यूरोपीय संघ के अग्रदूत के बीच राजनयिक संबंध;
- **1994:** भारत-यूरोपीय संघ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर;
- **2004:** रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक शासन में गहन सहयोग की ओर बदलाव।
- **2020:** 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 तक का रोडमैप', जिसमें डिजिटल नवाचार, जलवायु कार्रवाई, बहुपक्षवाद और वैश्विक शांति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है।

आर्थिक सहयोग:

- **व्यापार:** यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 11% हिस्सा है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (10.8%) और चीन (10.5%) भी यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करते हैं।
  - 2023 तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग €120 बिलियन तक पहुँच जाएगा।
  - भारतीय निर्यात के लिए यूरोपीय संघ दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है (कुल का 17.5%), संयुक्त राज्य अमेरिका (17.6%) के बाद, जबकि चीन चौथे स्थान पर (3.7%) है।
- **निवेश और व्यावसायिक संबंध:** यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है, जिसका ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संचयी FDI प्रवाह 100 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- **आपूर्ति शृंखला लचीलापन:** दोनों ही आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विशेष रूप से अर्धचालकों, फार्मास्यूटिकल्स और महत्त्वपूर्ण खनिजों में।

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता:** भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिसे आधिकारिक तौर पर भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) के रूप में जाना जाता है, पर 2007 से बातचीत चल रही है।
    - इसका उद्देश्य बाजार पहुँच को बढ़ाना, टैरिफ को कम करना और व्यापार विनियमन को सुव्यवस्थित करना है।

सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग:

- **समुद्री सुरक्षा:** यूरोपीय संघ की वैश्विक प्रवेशद्वार रणनीति और भारत की भारत-प्रशांत रणनीति हिंद महासागर तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं।
- **आतंकवाद-रोधी:** भारत-यूरोपीय संघ आतंकवाद-रोधी वार्ता आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने तथा कट्टरपंथ-रोधी उपायों को सुगम बनाती है।
- **रक्षा सहयोग:** यूरोपीय संघ एवं भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास, साइबर सुरक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी-साझाकरण समझौतों सहित गहन रक्षा सहयोग की संभावनाएँ खोज रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास:

- **भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी:** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** यूरोपीय संघ भारत की ISA पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- **यूरोपीय संघ-भारत हरित हाइड्रोजन साझेदारी:** इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग में तेजी लाना है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन:

- **भारत-यूरोपीय संघ डिजिटल साझेदारी:** डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **डेटा संरक्षण और गोपनीयता:** भारत और यूरोपीय संघ डेटा संरक्षण कानूनों को संरेखित करने के लिए रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सके।
- **अनुसंधान और नवाचार:** यूरोपीय संघ के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में भारत की भागीदारी अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विज्ञान में सहयोग को बढ़ावा देती है।

भू-राजनीतिक और बहुपक्षीय जुड़ाव:

- G20 (भारत 2023 में यूरोपीय संघ की मजबूत भागीदारी के साथ G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा);
- संयुक्त राष्ट्र (भारत वैश्विक शासन में यूरोपीय संघ की भूमिका का समर्थन करता है);
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) (दोनों निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का समर्थन करते हैं);

भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी में चुनौतियाँ

- **व्यापार बाधाएँ:** टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, विशेष रूप से कृषि, मोटर वाहन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में, ने FTA वार्ता को धीमा कर दिया है।
- **मानवाधिकार और श्रम मानक:** यूरोपीय संघ ने भारत में श्रम अधिकारों, पर्यावरण मानकों और डिजिटल शासन पर चिंता व्यक्त की है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख के कारण यूरोपीय संघ के देशों के साथ कुछ कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है।
- **विनियामक बाधाएँ:** डेटा गोपनीयता कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और डिजिटल कराधान में मतभेदों पर आगे बातचीत की आवश्यकता है।

भविष्य की संभावना

- ग्लोबल गेटवे और जलवायु वित्तपोषण परियोजनाओं सहित यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों में भारत की भूमिका का विस्तार।

NEXT IAS

- आगामी वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर।
- संयुक्त रक्षा उत्पादन सहित रक्षा सहयोग में वृद्धि।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI.-संचालित नवाचार में मजबूत सहयोग।
- दोनों पक्ष अपने रणनीतिक गठबंधन को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का लक्ष्य आने वाले दशकों में वैश्विक आर्थिक एवं सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

Source: IE

समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पहल प्रारंभ

संदर्भ

- शिपिंग, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने, वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल प्रारंभ की।

प्रारंभ की गई पहलें

- **एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ONOP):** इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत एवं सुव्यवस्थित करना, अकुशलता, परिचालन में विलंब और लागत को कम करना है।
- **सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (LPPI):** भारत के बंदरगाहों की दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक उपकरण, जो कार्गो हैंडलिंग एवं टर्नअराउंड समय जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को मापता है।
- **भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम:** भारत की समुद्री पहुँच का विस्तार करके और व्यापार लचीलापन बढ़ाकर वैश्विक व्यापार को मजबूत करना।
- **मैत्री (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन) ऐप:** व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही संबंधी अनावश्यकताओं को कम करने और मंजूरी में तीव्रता लाने के लिए, व्यापार करने में आसानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- **भारत समुद्री सप्ताह (27-31 अक्टूबर, 2025):** भारत की समुद्री विरासत और विकास का जश्न मनाने के लिए एक द्वि-वार्षिक वैश्विक समुद्री कार्यक्रम, जिसमें 100 देशों एवं 100,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

भारत का समुद्री क्षेत्र

- **सामरिक स्थिति:** विश्व के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पर स्थित, भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और उभरती हुई वैश्विक शक्ति है।
- **भारत का समुद्री क्षेत्र अवलोकन:** मात्रा के हिसाब से भारत के 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार को संभालता है, तथा बंदरगाह अवसंरचना अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **कार्गो-हैंडलिंग में वृद्धि:** 2014-15 और 2023-24 के बीच, प्रमुख बंदरगाहों ने अपनी वार्षिक कार्गो-हैंडलिंग क्षमता में 87.01% की वृद्धि की।
- **व्यापारिक निर्यात में वृद्धि:** भारत का व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 22 में 417 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **समुद्री क्षेत्र का महत्त्व:** भारत 16वाँ सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है, वैश्विक शिपिंग में इसका प्रमुख स्थान है, तथा प्रमुख व्यापार मार्ग इसके जलक्षेत्र से होकर गुजरते हैं।
- **भावी लक्ष्य:** भारत ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की रूपरेखा तैयार की है।
  - भारत एक दशक के अन्दर अपने बेड़े में कम से कम 1,000 जहाज़ों का विस्तार करने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

Functional Major and Non-Major Ports in India

Sr. No.	State / UT	Non-Major Ports	Major ports
1	Andhra Pradesh	15	1
2	Goa	5	1
3	Gujarat	48	1
4	Karnataka	13	1
5	Kerala	17	1
6	Maharashtra	48	2
7	Odisha	14	1
8	Tamil Nadu	17	3
9	West Bengal	1	1
10	Andaman and Nicobar Islands	24	-
11	Daman & Diu	2	-
12	Puducherry	3	-
13	Lakshadweep	10	-
(As of July 26, 2024)		Total = 217	12

चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** कुछ बंदरगाहों पर अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और पुरानी सुविधाएँ, क्षमता और दक्षता को सीमित कर रही हैं।
- **भीड़भाड़:** प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात की अधिकता के कारण विलंब, अधिक समय लगना, तथा उत्पादकता में कमी आना।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** प्रदूषण एवं स्थिरता संबंधी मुद्दे, जिनमें जहाजों और बंदरगाह परिचालनों से होने वाले उत्सर्जन भी शामिल हैं।
- **रसद संबंधी बाधाएँ:** बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के बीच अकुशल परिवहन संपर्क, जिससे माल की सुचारू आवाजाही प्रभावित होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अन्य वैश्विक समुद्री केन्द्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण निरंतर निवेश और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

सरकार की पहल

- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत के समुद्र तट और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
  - बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और कनेक्टिविटी का समर्थन करता है।
  - तटीय घाट, रेल/सड़क संपर्क, मछली बंदरगाह, क्रूज टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
- **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (MIV 2030):** इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्रों में शामिल करना तथा विश्व स्तरीय, कुशल और सतत् समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - इसमें दस प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में 150 से अधिक पहल शामिल हैं।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग विकास:** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई।
  - वैकल्पिक, सतत् परिवहन उपलब्ध कराता है, सड़क/रेल भीड़भाड़ को कम करता है।
- **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP):** इसका उद्देश्य ईंधन आधारित बंदरगाह टगों को पर्यावरण अनुकूल, सतत् ईंधन चालित टगों से प्रतिस्थापित करना है।
  - प्रमुख बंदरगाहों में परिवर्तन 2040 तक पूरा हो जाएगा।
- **सागरमंथन वार्ता:** भारत को समुद्री वार्ता के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वार्षिक समुद्री रणनीतिक वार्ता।
- **समुद्री विकास निधि:** बंदरगाहों और शिपिंग बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपये का कोष।
- **जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP 2.0):** भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने के लिए आधुनिकीकरण किया गया।

निष्कर्ष

- भारत का समुद्री क्षेत्र महत्त्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है, जो इसकी रणनीतिक पहलों और सरकारी योजनाओं से स्पष्ट है।
- सागरमंथन के पहले संस्करण ने वैश्विक समुद्री अभिकर्त्ता बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत

किया है, जिसमें हितधारकों को स्थिरता, कनेक्टिविटी एवं शासन जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया है।

- ये प्रयास भारत के समुद्री क्षेत्र को एक सतत् , नवीन और भविष्य के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाएँगे, जिससे वैश्विक समुद्री परिदृश्य में एक केंद्रीय अभिकर्त्ता के रूप में इसका स्थान सुनिश्चित होगा।

Source: PIB

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025

संदर्भ

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भौतिक विज्ञानी सर सी.वी. रमन द्वारा की गई 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

परिचय

- सर सी.वी. रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- प्रथम उत्सव 28 फरवरी 1987 को मनाया गया, जिससे एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है।
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान के महत्त्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है।
- **2025 का विषय:** विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना।

सी वी रमन के बारे में

- उन्होंने 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की।
- वह 1933 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के प्रथम भारतीय निदेशक बने।
- उन्होंने 1948 में रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की।
- 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।

रमन प्रभाव

- जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम (जैसे तरल या गैस) से गुजरती है, तो बिखरे हुए प्रकाश का एक छोटा सा अंश तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है।
- यह परिवर्तन माध्यम में अणुओं के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया के कारण होता है।

2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख प्रगति

- **नवाचार और आईपी में वैश्विक स्थिति**: WIPO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वाँ स्थान और वैश्विक बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में 6वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) भारत के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को गति दे रहा है।
  - PM प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (PMECRG) युवा शोधकर्त्ताओं को स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर उनका समर्थन करता है।
  - EV मिशन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे भारत टिकाऊ गतिशीलता में आत्मनिर्भर बन सके।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM), रु. 6003.65 करोड़ रुपये के निवेश से भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):** NSM के माध्यम से भारत की कम्प्यूटेशनल शक्ति 2024 में 32 पेटाफ्लॉप तक विस्तारित होगी, जिसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 77 पेटाफ्लॉप तक पहुँचने की योजना है।
  - भारतजेन पहल AI के लिए भारत के पहले बहुभाषी वृहद भाषा मॉडल (LLM) पर कार्य कर रही है।
- प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार (INSPIRE) कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और अनुसंधान में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उनका समर्थन करना है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी (STEM) में लैंगिक अंतर को समाप्त करना:** भारत WISE-KIRAN जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में भी प्रगति कर रहा है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान में महिलाओं को समर्थन प्रदान करता है।

Source: AIR

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022

संदर्भ

- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 भारत को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि स्थान-आधारित खुफिया जानकारी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि को शक्ति प्रदान करना।

राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति (NGP) के बारे में

- इसकी घोषणा केंद्र द्वारा 2022 में की गई थी और यह राष्ट्रीय मानचित्र नीति, 2005 का स्थान लेती है।
- यह फरवरी 2021 में जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
    - इन दिशानिर्देशों ने भू-स्थानिक क्षेत्र को विनियमन मुक्त कर दिया तथा भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण, उत्पादन और पहुँच को उदार बना दिया।
- इसमें राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भू-स्थानिक अवसंरचना, सेवाओं और प्लेटफार्मों को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक योजना की रूपरेखा दी गई है।
- इसका उद्देश्य सूचना अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए स्थान-केंद्रित उद्योग को मजबूत करना है।
- NGP का एक प्रमुख उद्देश्य 2030 तक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली स्थापित करना है, साथ ही पूरे देश के लिए अत्यधिक सटीक डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) बनाना है।
- इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर "विकसित भारत" के अपने दृष्टिकोण की ओर ले जाना है।

क्या आप जानते हैं ?

- भू-स्थानिक डेटा पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित घटनाओं या घटनों का विवरण है।
- यह स्थान स्थिर हो सकता है - भूकंप, वनस्पति आदि से संबंधित, या गतिशील हो सकता है - सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति, ट्रैक किया जा रहा कोई पैकेज आदि।
- प्राप्त स्थान डेटा को सामान्यतः अन्य विशिष्ट विशेषताओं या रिकॉर्ड किए गए मापदंडों के साथ संयोजित किया जाता है ताकि भू-स्थानिक डेटा के रूप में सार्थक जानकारी प्रदान की जा सके।

विशेषताएँ

- यह शासन, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को मान्यता देता है।
- यह भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाकर और विदेशी भू-स्थानिक डेटा पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
- इसका ध्यान संस्थागत ढाँचे, समन्वय और जीवंत भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने और शासन में सुधार के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने पर जोर देता है।
- यह भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के माध्यम से भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं तक खुली पहुँच को प्रोत्साहित करता है।
- यह पीएम गति शक्ति के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 16 मंत्रालयों में बुनियादी ढाँचे के विकास को सुव्यवस्थित करना है।

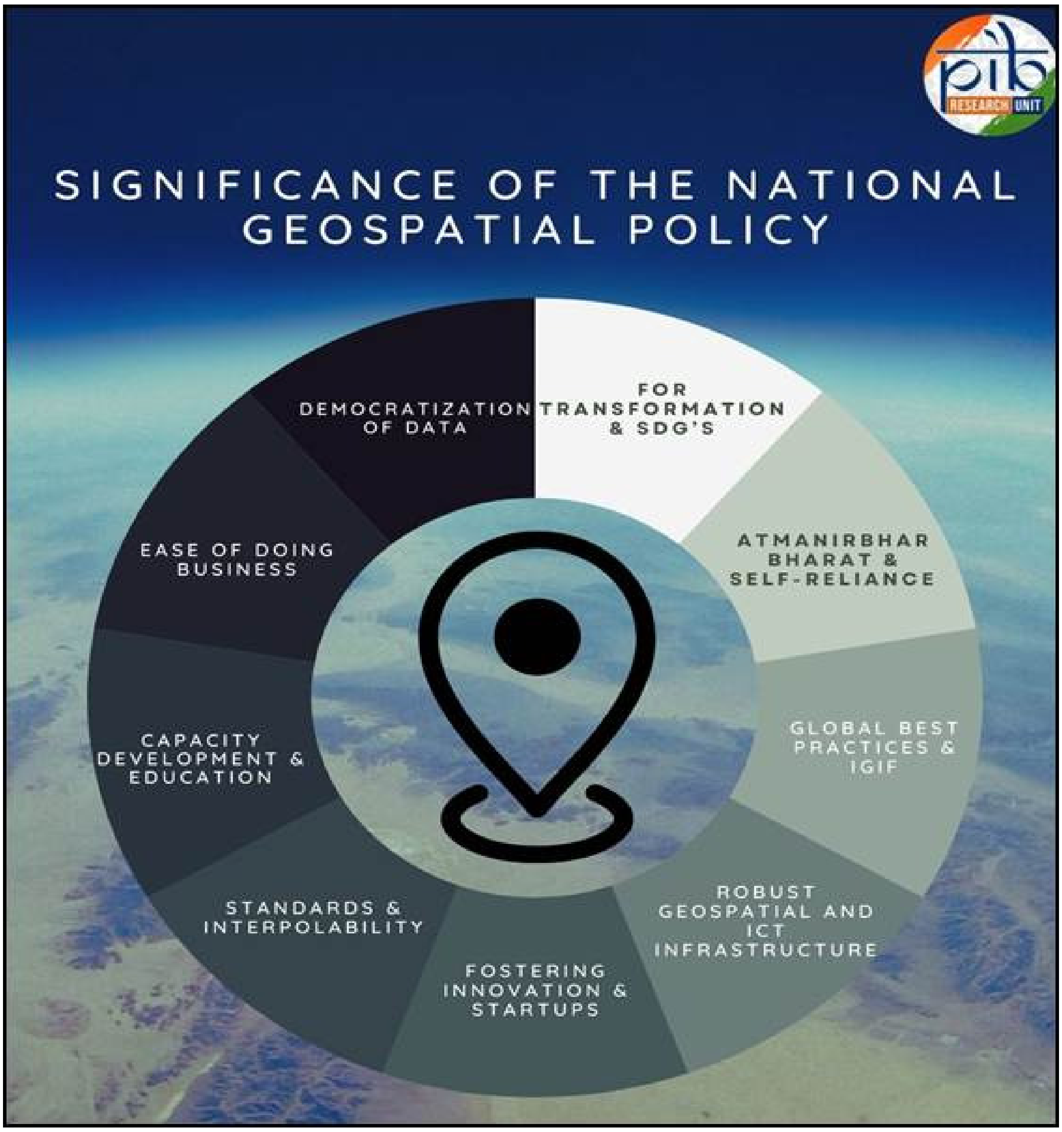

संबंधित कदम

- **ऑपरेशन द्रोणागिरी:** इसे शासन, व्यवसाय और नागरिक सेवाओं में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में 2024 में लॉन्च किया गया था।
  - प्रारंभ में इसे पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र) में लागू किया गया।
  - यह भू-स्थानिक नवाचार के लिए सरकार, उद्योग और स्टार्टअप को एकीकृत करता है।
  - यह शहरी नियोजन, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक डेटा तक निर्बाध पहुँच और साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय बजट 2025 के आवंटन और रुझान

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं।
  - इस मिशन का उद्देश्य आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करना है, जो भूमि अभिलेखों, शहरी नियोजन एवं अवसंरचना डिजाइन के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- डेटा तक पहुँच को सरल बनाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और उद्यम विकास को बढ़ावा देकर, यह नीति एक मजबूत एवं गतिशील भू-स्थानिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है जो शासन, उद्योग तथा अनुसंधान को समर्थन प्रदान करता है।

Source :PIB

परमाणु हथियार: 'विनाश का एकतरफा रास्ता'

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है, तथा उन्होंने सरकारों से पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।

परमाणु हथियारों के खतरे

- परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणाम प्रथम बार 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के दौरान देखे गए थे।
  - इसके परिणामस्वरूप विकिरण के कारण 200,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- क्यूबा मिसाइल संकट (1962) दर्शाता है कि गलतफहमियों और गलत अनुमानों के कारण मानवता विनाशकारी परिणामों के कितने निकट आ गई थी।
- "प्रलय की घड़ी", जो मानवता के विनाश की निकटता का प्रतीकात्मक माप है, को जनवरी 2025 में मध्य रात्रि से एक सेकंड आगे बढ़ा दिया गया है। यह परमाणु हथियारों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को प्रकट करता है।
  - वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है।
- परमाणु युद्ध से "परमाणु शीतकाल" प्रारंभ हो सकता है, जहाँ कालिख और मलबा सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा, जिससे वैश्विक कृषि बाधित होगी और बड़े पैमाने पर भुखमरी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- मानवीय भूल, तकनीकी खराबी या साइबर हमले से अनपेक्षित परमाणु विस्फोट हो सकता है।

विश्व में परमाणु शक्तियाँ

- नौ देशों को परमाणु हथियार रखने वाला माना गया है।
- इन देशों को प्रायः "परमाणु-सशस्त्र राज्य" या "परमाणु शक्तियाँ" कहा जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल।

परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है??

- निरस्त्रीकरण से तात्पर्य हथियारों (विशेष रूप से आक्रामक हथियारों) को एकतरफा या पारस्परिक रूप

से नष्ट करने या समाप्त करने के कार्य से है।

- इसका तात्पर्य या तो हथियारों की संख्या को कम करना हो सकता है, या हथियारों की पूरी श्रेणी को समाप्त करना हो सकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित संधियाँ

- निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए विश्व का एकमात्र बहुपक्षीय मंच है।
- 65 सदस्य देशों वाले इस सम्मेलन ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) जैसी संधियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT):** 1968 में हस्ताक्षरित और 1970 में लागू हुई, NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है।
- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW):** संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में अपनाई गई टीपीएनडब्ल्यू का उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, तैनाती, हस्तांतरण, उपयोग और उपयोग की धमकी पर रोक लगाना है।
    - यह परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, हालाँकि अभी तक परमाणु-सशस्त्र संपन्न राज्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):** 1996 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई CTBT का उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है।
    - यद्यपि इस संधि पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 170 ने इसका अनुसमर्थन किया है, फिर भी यह अभी तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि परमाणु-सशस्त्र संपन्न देशों को इसे लागू करने के लिए अनुसमर्थन करना होगा।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि:** यह बहुपक्षीय समझौता 1967 में लागू हुआ और अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस संधि में सभी नौ देश पक्षकार हैं जिनके पास परमाणु हथियार होने की संभावना है।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत की प्रवृति

- भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तथा उसने कहा है कि NPT भेदभावपूर्ण है तथा परमाणु हथियार रहित देशों के बीच दो-स्तरीय प्रणाली को कायम रखती है, तथा परमाणु हथियार रहित देशों के लिए शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुँच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता की वैध अभिव्यक्ति है, और भारत को संभावित खतरों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है।
    - भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षणों के बाद नो फर्स्ट यूज़ (NFU) नीति अपनाई थी।

आगे की राह

- निरस्त्रीकरण को जोखिम कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जाता है।
- यद्यपि पूर्ण निरस्त्रीकरण एक दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है, फिर भी समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और सहयोग के माध्यम से वृद्धिशील प्रगति की जा सकती है।

Source: UN

संक्षिप्त समाचार

नानाजी देशमुख

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र में जन्मे चंडिकादास अमृतराव देशमुख, जिन्हें व्यापक रूप से नानाजी देशमुख के नाम से जाना जाता है, सामाजिक सुधार, राजनीति और ग्रामीण विकास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे।

- लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद और डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक ने अपना जीवन बुनियादी स्तर पर सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया।
- वह आत्मनिर्भर गाँवों में दृढ़ विश्वास रखते थे, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' दर्शन से मेल खाता था।
- भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है।
- सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किए गए, जो हजारों बच्चों को पारंपरिक भारतीय मूल्यों और आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
- सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 1999 में राज्य सभा के लिए मनोनीत किया गया।

विरासत और मान्यता

- सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण (1999)।
- उनके परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए उन्हें भारत रत्न (2019, मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

Source: PIB

हेराथ महोत्सव

संदर्भ

- हेराथ त्योहार कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व रखता है।

'हेराथ' महोत्सव के बारे में

- हेराथ नाम संस्कृत शब्द हरारात्रि से लिया गया है, जिसका अर्थ है "हरा की रात", जो भगवान शिव का संदर्भ है।
- यह त्यौहार पूरी रात प्रार्थना के साथ मनाया जाता है, जिसके बाद पूरे दिन भोज और उत्सव मनाया जाता है।
- **प्रमुख अनुष्ठान और प्रथाएँ:**
  - **वटुक पूजा:** मुख्य पूजा में जल और अखरोट से भरा कलश प्रयोग किया जाता है, जो चार वेदों का प्रतीक है।
  - **दुनी-मावस:** अखरोट को पवित्र प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।
  - **अभिवादन:** "हेराथ पोशते" का प्रयोग दूसरों को शुभकामनाएँ देने के लिए किया जाता है।
  - **भोजन:** महाशिवरात्रि के लिए अन्य उपवास परंपराओं के विपरीत, मछली एवं मटन तैयार किया जाता है और खाया जाता है।

Source: TH

मूसलाधार बारिश

समाचार में

- बोलीविया में मूसलाधार वर्षा के कारण नवम्बर से अब तक 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मूसलाधार वर्षा

- वर्षा तब होती है जब वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर बूंदों में बदल जाती है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं।
- मूसलाधार वर्षा से तात्पर्य भारी वर्षा से है।
- **कारण:** यह मौसमी मोर्चों, संवहनीय बादलों और पर्वतीय क्षेत्रों में नमी के प्रवाह के कारण होता है। यह द्वीपों पर शहरी गर्मी के कारण भी हो सकता है।
- **प्रभाव:** इससे भूमि पर जल का अत्यधिक संचय हो सकता है, जिससे प्रायः बाढ़, भूस्खलन और दैनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
  - ऐसी वर्षा सामान्यतः मजबूत मौसम प्रणालियों, जैसे आंधी-तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मानसून गतिविधि से जुड़ी होती है।

Source: AIR

TB का पता लगाने में 'हीरोरैट्स'

समाचार में

- अफ्रीकी विशाल थैलीदार चूहों (हीरोरैट्स) का उपयोग करके थूक के नमूनों में TB का पता लगाने में सफलता मिली है।

अफ़्रीकी विशाल थैलीदार चूहे

- इन्हें हीरोरैट्स उपनाम दिया गया है।
- वे मुख्यतः रात्रिचर, सर्वाहारी कृंतक हैं जो दक्षिणी दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे उप-सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं।

TB का पता लगाने में भूमिका

- इन चूहों को उनकी अत्यधिक संवेदनशील घ्राण क्षमता द्वारा TB की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक तीव्र और सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं।
- तंजानिया में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि चूहों ने बच्चों में TB के मामलों का पता पारंपरिक परीक्षणों की तुलना में दोगुनी दर से लगाया।

भारत में स्थिति

- क्षय रोग (TB) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु (या रोगाणु) के कारण होता है।
- भारत में यह एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जहाँ वैश्विक स्तर पर लगभग 28% मामले सामने आते हैं तथा प्रतिवर्ष 5 लाख मृत्यु होती हैं।
- राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) का लक्ष्य 2025 तक TB का उन्मूलन करना है, लेकिन विशेष रूप से बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी पहचान जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- हीरोरैट्स पद्धति भारत के लिए एक व्यवहार्य द्वितीयक नैदानिक उपकरण हो सकती है, विशेष रूप से उच्च बोझ वाले राज्यों में।
- विशेषज्ञों ने TB का पता लगाने, जीवन बचाने और TB उन्मूलन प्रयासों को समर्थन देने के लिए हीरोरैट्स को NTEP में एकीकृत करने का सुझाव दिया है।

Source :TH

उइगर

समाचार में

- थाईलैंड में एक दशक से अधिक समय से हिरासत में रखे गए कम से कम 40 उइगर पुरुषों को चीन भेज दिया गया है।

उइगर

- उइगर (जिन्हें उइग़ुर भी कहा जाता है) एक जातीय अल्पसंख्यक समूह है जो मुख्यतः पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में रहते हैं।
- उइगर मुख्यतः मुसलमान हैं।
- उइगर अपनी भाषा बोलते हैं, जो तुर्की भाषा के समान है, और वे स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के निकट मानते हैं।
- चीन पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने तथा संभवतः शिनजियांग के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में उइगर जनस्नाख्या और अन्य मुस्लिम जातीय समूहों के विरुद्ध नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है।

Source: IE

हेग सेवा सम्मेलन

संदर्भ

- अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से हेग सेवा कन्वेंशन के अंतर्गत गौतम अडानी और सागर अडानी को सम्मन जारी करने का अनुरोध किया।

हेग सेवा कन्वेंशन क्या है?

- हेग सेवा कन्वेंशन (1965), जिसे औपचारिक रूप से सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है जो सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा की प्रक्रिया को सरल बनाती है।

यह कैसे कार्य करता है?

- प्रत्येक सदस्य देश अनुरोधों को निपटाने के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण नामित करता है।
- यह अभिसमय प्रतिवादियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कुशल दस्तावेज़ सेवा सुनिश्चित करता है।
- इसमें आपराधिक मामले शामिल नहीं हैं तथा यह तभी लागू होता है जब अनुरोधकर्त्ता और प्राप्तकर्त्ता दोनों देश हस्ताक्षरकर्त्ता हों।

- भारत और अमेरिका दोनों ही इस कन्वेंशन के सदस्य हैं, जिससे यह मार्ग सेवा के लिए एक वैध कानूनी तंत्र बन जाता है।

हेग सेवा संधि के अंतर्गत भारत की आपत्तियाँ

- **वैकल्पिक सेवा पद्धतियों का विरोध:** भारत में यह अनिवार्य है कि सभी सेवा अनुरोध विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजे जाएँ।
    - अमेरिकी न्यायालय ईमेल, डाक या कांसुलरी चैनलों के माध्यम से सम्मन जारी नहीं कर सकते, जब तक कि प्राप्तकर्ता भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक न हो।
- **भाषा और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ:** अनुरोध अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए या उसका अंग्रेजी अनुवाद शामिल होना चाहिए।
- **सेवा पूर्ण होने की समय-सीमा:** सामान्यतः, हेग कन्वेंशन के अंतर्गत भारत में सेवा पूर्ण होने में 6 से 8 माह का समय लगता है।
    - कार्य पूरा होने पर, अनुरोधकर्त्ता देश को एक पावती प्रमाणपत्र भेजा जाता है।

Source: TH

विश्व को खादी पहनाओ अभियान

संदर्भ

- 'विश्व को खादी पहनाओ' अभियान भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ (AAAI) द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया है।

परिचय

- **लक्ष्य:** भारत की कपड़ा विरासत को वैश्विक फैशन रुझानों के साथ मिलाना, खादी को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना।
- **लक्षित दर्शक:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के विज्ञापन पेशेवर और फ्रीलांसर।
- **भाग:** उद्घाटन विश्व ऑडियो विज़ुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES)।
    - यह मीडिया और मनोरंजन (M&E) उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है।

खादी

- खादी हाथ से काते और हाथ से बुने हुए कपास, रेशम या ऊन से बना एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा है।
- यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
- यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रतीक है।
- **खादी की मुख्य विशेषताएँ:**
    - **हाथ से काता गया:** सूत को चरखे का उपयोग करके हाथ से काता जाता है।
    - **हाथ से बुना हुआ:** सूत को पारंपरिक करघे का उपयोग करके कपड़े में बुना जाता है।
    - **पर्यावरण के अनुकूल:** चूँकि यह हाथ से बनाया जाता है, इसलिए मशीन से बने कपड़ों की तुलना में खादी अधिक टिकाऊ है।
    - **प्राकृतिक कपड़ा:** यह कपास, रेशम या ऊन से बनाया जाता है, जो सभी प्राकृतिक रेशे हैं।

Source: PIB

जैवविविधता रिसाव

संदर्भ

- साइंस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार कुछ देशों में संरक्षण प्रयासों के कारण अन्य क्षेत्रों में जैव विविधता की हानि हो सकती है।

जैवविविधता रिसाव क्या है?

- जैव विविधता रिसाव संरक्षण नीतियों के अनपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है, जहाँ एक क्षेत्र में कृषि पर प्रतिबंध अन्य जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों से आयात की मांग को बढ़ाते हैं।
- इस विस्थापन से वनों की कटाई, आवास विनाश और निर्यात क्षेत्रों में जैव विविधता की हानि हो सकती है।

वैश्विक संरक्षण पहल

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे का लक्ष्य जैव विविधता के हानि का मुकाबला करने के लिए 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है।
- यूरोपीय संघ की 2030 के लिए जैव विविधता रणनीति (यूरोपीय ग्रीन डील के अंतर्गत) पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को उलटने और दशक के अंत तक कम से कम 30% भूमि एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना चाहती है।

जैवविविधता रिसाव को संबोधित करने के लिए सिफारिशें

- नियमित कार्यक्रम निगरानी के भाग के रूप में हस्तक्षेप क्षेत्रों के अन्दर खाद्य या लकड़ी उत्पादन में परिवर्तनों पर नज़र रखना।
- उच्च-रिसाव वाले सामानों की मांग को कम करना और उत्पादन में कमी के अनुरूप दक्षता में सुधार करना।
- उन क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को लक्षित करना जहाँ जैव विविधता पुनर्स्थापना से उत्पादन में न्यूनतम विस्थापन होगा।
- नुकसान की भरपाई के लिए संरक्षण परियोजना क्षेत्रों के भीतर या उसके आस-पास उपज बढ़ाना।

Source: DTE

प्राणि मित्र एवं जीव दया पुरस्कार

संदर्भ

- भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह की घोषणा की है।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य पशु कल्याण और संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संगठनों को मान्यता देना है।
- पुरस्कार दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाएँगे: प्राणि मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार।
  - प्राणि मित्र पुरस्कार पाँच उप-श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा: वकालत (व्यक्तिगत), अभिनव विचार (व्यक्तिगत), आजीवन पशु सेवा (व्यक्तिगत), साथ ही पशु कल्याण संगठनों और कॉर्पोरेट, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों या सहकारी समितियों के लिए दो पुरस्कार।
  - जीव दया पुरस्कार तीन उप-श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा: व्यक्ति, पशु कल्याण संगठन, और स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों या बच्चों में से किसी के लिए।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देने वाला एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत की गई थी।
  - AWBI की शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में हुई थी।
- **उत्तरदायित्व:** यह सुनिश्चित करता है कि भारत में पशु कल्याण कानूनों का पूरी लगन से पालन किया जाए।
  - पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।
  - पशु कल्याण के मुद्दों पर भारत सरकार को परामर्श देता है।
- **शासन:** बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

Source: PIB

स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट

समाचार में

- स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे प्राय:"आर्कटिक डूम्सडे सीड वॉल्ट" कहा जाता है, को हाल ही में 14,000 से अधिक नए बीज नमूने प्राप्त हुए हैं, जिससे

वैश्विक कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने के इसके मिशन को मजबूती मिली है।

स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में

- विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित बीज बैंक
- **उद्देश्य:** वैश्विक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय आपात स्थितियों के मामले में विभिन्न प्रकार के फसल बीजों की सुरक्षा करना
- **स्थान:** आर्कटिक स्वालबार्ड द्वीपसमूह में स्पिट्सबर्गेन का नॉर्वेजियन द्वीप
- **संरक्षण तंत्र:** अल्ट्रा-लो तापमान (-18 डिग्री सेल्सियस) बनाए रखता है, जिसमें पर्माफ्रॉस्ट और मोटी चट्टानें विद्युत के बिना भी बीज व्यवहार्यता सुनिश्चित करती हैं

भारत का अपना बीज बैंक

- भारत के पास स्वयं की उच्च ऊंचाई वाली बीज संरक्षण सुविधा है, जिसे 2010 में चांग ला, लद्दाख में स्थापित किया गया था।
- इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत संचालित रक्षा उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान (DIHAR) और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था।
- बीज बैंक भारत की पादप आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन और अन्य संभावित खतरों के विरुद्ध फसल किस्मों की सुरक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Source: TH

■■■■